अभिषेक प्रिंटर्स, डूंगला-9413403527

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

…त अदालत .... उपखण्ड अधिकारी डूंगला .... मुकाम .... उपखण्ड अधिकारी डूंगला

करणमल .... बनाम .... मांगीलाल

…स्म मुकद्दमा .... प्रार्थना पत्र 251 (A) नं. .... 12/2019 .... सन् ....

…रीख …हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं प्रार्थी श्री करणमल दाणी स्वयं उपस्थित। न्यायालय हाजा द्वारा जारी हुक्मनामा आदेश दिनांक 25-6-2021 की पालना में मौका रिपोर्ट तहसीलदार डूंगला से प्राप्त हुई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी की खातेदारी आराजी नम्बर 49,50 के दक्षिणी मेड़ की पाली पर होते हुए 3 फीट भूमिगत पाईप लाईन 430 फीट लम्बाई में डाली जाना रिपोर्ट में अंकित किया गया है। वकील प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य में प्रार्थी करणमल दाणी के बयान कराये गये जो संलग्न पत्रावली है। वकील प्रार्थीगण की बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार डूंगला से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी आराजी में पानी सिंचाई प्रयोगार्थ लाने हेतु विपक्षी की खातेदारी आराजी नम्बर 49 व 50 की दक्षिणी मेड़ से होते हुए लगभग 430 फीट लम्बाई में व 3 फीट जमीन में पाईप लाईन डाली जाना न्यायोचित पाया गया है। अतः विपक्षी की खातेदारी आराजी नम्बर 49 व 50 के दक्षिणी मेड़ पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (A) के तहत प्रस्तुत किये गये [illegible] प्रावधानानुसार बिना प्रतिफल राशि [illegible] 3 फीट जमीन के नीचे व 430 फीट लम्बाई में [illegible] [illegible] अलग से [illegible] डालने का आदेश दिया जाता है। [illegible] शामिल पत्रावली हो। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohar Singh Meena
Date: 2021.09.10 11:56:53 IST
Reason: SelfAttested